शासन से संबंधित / महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/अर्थदण्ड

पत्र सं0- जनसूचना-शासन-अधिरोपित अर्थदण्ड वसूली/2019-20 / 1470 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(प्रयागराज, झांसी, नोएडा एवं गोरखपुर जोन को छोड़कर)

(जनसूचना अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 02 दिसम्बर, 2019**

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अभिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या- 1417 दिनांक 26.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप सचिव, सस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- स0वि0क0नि0-1-सू0अ095/11-2019-129/18 दिनांक 21.11.2019 के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- 209/43-2-2019 दिनांक 19.11.2019 द्वारा उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी पर अरोपित अर्थदण्ड की सूची प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि अर्थदण्ड की वसूली शीघ्रातिशीघ्र कराकर एक माह के अन्दर प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, को उपलब्ध करावें। परन्तु अभी तक किसी विभाग द्वारा पूर्व सूचना उपलब्ध नही करायी गयी है, जिसके कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति की बैठक नही करायी जा सकी है।

अत: उप सचिव, सस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- स0वि0क0नि0-1-सू0अ095/11-2019-129/18 दिनांक 21.11.2019 के साथ संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि विषयांकित प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए वर्ष 2007 से अद्यतन की सूचना इस कार्यालय को बिना अनुस्मारक की प्रतीक्षा करें 02 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध किन्तु अभी तक आपके द्वारा अपने जोन की संकलित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है , जिससे शासन की अपेक्षानुसार सूचना 02 कार्य दिवसों में प्रेषित किया जाना सम्भव नही हो पाया है। अतएव वांछित सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0एन0यादव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ